

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।  
ईमेल—cfoudn.ukfs@gmail.com,

फोन नं०—०५९४४—२४००७१

पत्रांक: कमांक—२५ / न—३ / एफ०एस० / ऑनलाईन / २०२२

दिनांक फरवरी २३, २०२२।

स्वामी / प्रबन्धक  
मै० सैण्ट पीटर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल  
किशनपुर किंचन्चल,  
ऊधम सिंह नगर।

विषय :— अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं०—१७४२०७८१ दिनांक १०—०२—२०२२ के अनुसार मै० सैण्ट पीटर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल किशनपुर किंचन्चल, ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार रथापति अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोश में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किरी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक ०६ माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का रव—घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक ०३ वर्ष में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै० सैण्ट पीटर सीनियर सेकेण्डरी स्कूल किशनपुर किंचन्चल, ऊधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक २३ फरवरी २०२२ से २२ फरवरी २०२५ तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- १ सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा रीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- २ आपके संस्थान के सभी कार्यालयों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- ३ सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की रक्षापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- ४ भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की रक्षापना, वैटीलेशन, रट्रैक्टर, स्टेंबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- ५ संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुगोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
- ६ विद्युत स्विच वोर्ड/विद्युत पैनल के आस—पास किसी भी प्रकार की सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- ७ विद्यालय में कम्प्यूटर एवं अन्य लैब संचालित होने पर कम्प्यूटर लैब में एक अदद सीओटू एक्सटिंग्यूशर क्षमता ९.५ किग्रा०, अन्य लैब में एक अदद एवीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता १० किग्रा० मय ०४ अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास एक अदद एवीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता १० किग्रा मय ०४ अदद सैण्ड बकेट के स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
ऊधम सिंह नगर